संख्या-**260**/2023/आई/**294080**/003**-** 41-1002-001-1-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक **27** मार्च**,** 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19-विज्ञापन मद, 18-प्रकाशन मद, एवं 04-प्रदर्शनी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-8832/(बजट)/प्र0/2022**,** दिनांक 21.02.2023 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में मद संख्या-14-पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख की अवशेष राशि में से अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 पर्यटन सूचना और प्रसार के मानक मद 19-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन मद में रू0 100.00 लाख (रू0 एक सौ लाख मात्र), मानक मद 18-प्रकाशन मद में रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालीस लाख मात्र) तथा लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-04 प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय 42-अन्य व्यय मद में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 170. 00 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452 के अन्तर्गत मद 14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से निम्नलिखित मदों में धनराशि रु0 125.00 लाख (रु0 एक करोड़ पचीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखें जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

अनुदान संख्या	**लेखाशीर्ष**	**मानक मद**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष**
044	3452808000400 (प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय)	42 (अन्य व्यय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	2022-2023
044	3452808000300	18	1,05,00,000	30,00,000	30,00,000	1,35,00,000	2022-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	(पर्यटन सूचना और प्रचार)	(प्रकाशन)	रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र	रुपये तीस लाख मात्र	रुपये तीस लाख मात्र	रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र	2023
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	14,75,00,000 रुपये चौदह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 1,25,00,000	₹ 1,25,00,000		

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022**,** दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार**,** प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	18 प्रकाशन	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
2	044	3452808000300	19	75,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		पर्यटन सूचना और प्रचार	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	(रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000400 (प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000400 प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय	42 अन्य व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)**
महायोग				1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, पर्यटन।
4. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, पर्यटन ।
5. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय द्वारा महानिदेशक, पर्यटन ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, पर्यटन ।
7. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, पर्यटन ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in